

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संख्या-2/एम-124/2023- /स्वा०, पटना, दिनांक / /2026

डा० उदय भानू सिंह, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रीगा, सीतामढ़ी द्वारा दिनांक-01.08.2017 से 05.08.2017 तक कुल-05 (पाँच) दिन का उपभोगित अवकाश अवधि को वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक-386(25) दिनांक-11.06.2018 एवं बिहार सेवा संहिता के नियम-230, 248 के आलोक में उपार्जित अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

2. असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सीतामढ़ी के आदेश ज्ञापांक-2427, दिनांक-28.08.2018 को इस हद तक संशोधित समझा जाए।

ह०/-


(विनोद कुमार पाठक)  
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-2/एल-124/2023- 616(2) पटना, दिनांक 24/3 /2026

प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सीतामढ़ी/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रीगा, सीतामढ़ी/कोषागार पदाधिकारी, सीतामढ़ी/डा० उदय भानू सिंह, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रीगा, सीतामढ़ी को सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-3, 9, 17 एवं 18A को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
सरकार के उप सचिव।  
1